Azadi Ka Amrit Mahotsav

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

कामगारों की दयनीय स्थिति और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयास

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Contact Details of District Legal Services Authorities & Secretaries

S.N.	DISTRICT	STD Code	Office DLSA	Official Mobile	Help Line No.
1	AJMER	0145	2943811	9358865706	8306002101
2	ALWAR	0144	2940098	9358865707	8306002102
3	BALOTRA	02988	220970	9358865708	8306002103
4	BANSWARA	02962	241547	9358865710	8306002104
5	BARAN	07453	237186	9358865711	8306002105
6	BHARATPUR	05644	228870	9358865712	8306002106
7	BHILWARA	01482	230199	9358865713	8306002107
8	BIKANER	0151	2970623	9358865714	8306002108
9	BUNDI	0747	2442533	9358865715	8306002109
10	CHITTORGARH	01472	294210	9358865716	8306002112
11	CHURU	01562	294594	9358865718	8306002110
12	DAUSA	01427	223029	9358865719	8306002114
13	DHOLPUR	05642	220162	9358865720	8306002115
14	DUNGARPUR	02964	233078	9358865721	8306002116
15	GANGANAGAR	0154	2944888	9358865722	8306002117
16	HANUMANGARH	01552	294199	9358865723	8306002118
17	JAIPUR METRO-I	0141	2200576	9358865724	8306002119
19	JAIPUR METRO-II	0141	2947155	9358510180	8306006150
18	JAIPUR DISTRICT	0141	2203090	9358865725	8306002120
19	JAISALMER	02992	294676	9358865726	8306002123
20	JALORE	02993	294337	9358865727	8306002126
21	JHALAWAR	07432	294065	9358865728	8306002127
22	JHUNJHUNU	01592	294040	9358865729	8306002128
23	JODHPUR METRO	0291	2540351	9358865730	8306002021
24	JODHPUR DISTRICT	0291	2943451	9358865731	8306002129
25	KARAULI	07464	251108	9358865732	8306002130
26	KOTA	0744	2321096	9358865733	8306002131
27	MERTA	01590	220110	9358865734	8306002132
28	PALI	02932	294035	9358865735	8306002166
29	PRATAPGARH	01478	220302	9358865736	8306002134
30	RAJSAMAND	02952	221000	9358865738	8306002135
31	SAWAI MADHOPUR	07462	294301	9358865739	8306002136
32	SIKAR	01572	270048	9358865740	8306002137
33	SIROHI	02972	294048	9358865742	8306002138
34	TONK	01432	294603	9358865743	8306002139
35	UDAIPUR	0294	2940382	9358865744	8306002022
36	RHCLSC, Jodhpur	0291	2888047	9358865703	8306002140
37	RHCLSC, Jaipur	0141	2227481	9358865702	8306002122

कामगारों की दयनीय स्थिति और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयास

किसी भी देश में निर्माण या कम्पनी को चलाने के लिए मजदूर की आवश्यकता होती है। दुनिया में मजदूरों की भूमिका अहम होती है। हम दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीजों में घर बनाने में या फिर कोई प्रोडक्ट या अनाज खरीदते है या फिर सडक पर चलने जैसी चीजों पर मजदूर का विशेष योगदान रहता है। इतना सब होने के बावजूद भी हमारे देश में मजदूरों की हालत उतनी अच्छी नहीं है। मजदूरों का सभी क्षेत्रों में इतना योगदान होने के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है।

केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा मजदूरों की शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत एवं सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न विधायन पारित किए गए है, यथाः–श्रमिक मुआवजा एक्ट, 1923, द ट्रेड यूनियंस एक्ट, 1926, मजदूरी भुगतान एक्ट, 1936, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) एक्ट, 1946, भारतीय औद्योगिक विवाद एक्ट, 1947, न्यूनतम मजदूरी एक्ट,1948, कारखाना एक्ट, 1948, मातृत्व लाभ एक्ट, 1961, बोनस भुगतान एक्ट, 1965, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972, श्रम कानून अनुपालन नियम, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 2009 तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) एक्ट, 2013 आदि।

मजदूर वर्ग से सम्बन्धित निम्न समस्यायें है :

1. बालश्रम :

बचपन हर एक के जीवन का सबसे खुशनुमा और जरुरी अनुभव माना जाता है क्योंकि बचपन बहुत जरुरी और दोस्ताना समय होता है सीखने का। अपने माता–पिता से बच्चों को पूरा अधिकार होता है खास देख–रेख पाने का, प्यार और परवरिश पाने का, स्कूल जाने का, दोस्तों के साथ खेलने का और दूसरे खुशनुमा पलों का लुफ्त उठाने का। बाल मजदूरी हर दिन न जाने कितने अनमोल बच्चों का जीवन बिगाड़ रहा है। ये बड़े स्तर का गैर–कानूनी कृत्य है, जिसके लिये सजा होनी चाहिये लेकिन अप्रभावी नियम–कानूनों से ये हमारे आस–पास चलता रहता है। बंधुआ

मजदूरी केवल कृषि के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शहरों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे–खनन, माचिस निर्माण की फैक्ट्रियाँ और ईंट भट्ठे आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैली है। आधुनिक दासता में श्रम, ऋण बंधन, और मानव तस्करी जैसे शोषणकारी कार्य शामिल हैं।

बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने आमजन को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए है–

1. अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या उनकी पसंद का रोजगार करने का अधिकार होगा।
2. अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। बंधुआ मजदूरी की प्रथा सभी संवैधानिक रूप से अनिवार्य अधिकारों का उल्लंघन करती है।
3. अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम का प्रतिषेध करता है।
4. अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है।
5. अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिगत तत्त्वों का उपबंध करता है।

इसके अतिरिक्त विधायिका के द्वारा विभिन्न अधिनियम भी पारित किए गए है–

1. बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 यह अधिनियम आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948) यह अधिनियम मजदूरों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी की मानक राशि निर्धारित करता है। अधिनियम में श्रमिकों के लिये निर्धारित समय सीमा भी शामिल है, जिसमें श्रमिकों के लिये अतिरिक्त समय, मध्यावधि अवकाश, अवकाश और अन्य सुविधाएँ शामिल हैं।
3. संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 यह अधिनियम बेहतर काम की परिस्थितियों को लागू करने और संविदा मजदूरों के शोषण को कम करने के लिये लागू किया गया है।

4. अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (सेवा के विनियमन और रोजगार की स्थिति) अधिनियम, 1979 यह अधिनियम भारतीय श्रम कानून में अंतर्राज्यीय मजदूरों की कामकाजी स्थितियों को विनियमित करने के लिये अधिनियमित किया गया है।
5. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 370 के तहत, गैर–कानूनी श्रम अनिवार्य रूप से निषिद्ध है।
6. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और संशोधन अधिनियम 2016 यह अधिनियम बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध आरोपित करता है और कुछ विशेष रोजगारों में बच्चों के कार्य की दशाओं को नियंत्रित करता है।
7. मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) अधिनियम, 2018 इस अधिनियम में सरकार ने तस्करी के सभी रूपों को नए सिरे से परिभाषित किया है।

1. मानव तस्करी :

भारत में मानव तस्करी की समस्या विकराल और भयावह है। मानव जीवन का, तस्करी या अवैध व्यापार का शिकार होना किसी त्रासदी से कम नहीं है। इससे मानवता कलंकित होती है और सभ्य समाज को शर्मिन्दा होना पड़ता है। यह कहना असंगत न होगा कि मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध ऐसा भयावह कृत्य है, जो मनुष्य के स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकार को ही छीन लेता है।

संयुक्त राष्ट्र ने परिभाषित किया है–"किसी व्यक्ति को डराकर, बल प्रयोग कर या दोषपूर्ण तरीके से भर्ती, परिवहन या शरण में रखने की गतिविधि तस्करी की श्रेणी में आती है।" सामान्य शब्दों में हम यह भी कह सकते है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी किसी मजबूरी या कमजोरी का फायदा उठाते हुए किसी भी तरह के अवैध कार्य में भागीदार बनाने के लिए किसी व्यक्ति, महिला या बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और उनसे गलत काम करवाना मानव तस्करी है। यह आज के नए दौर की 'आधुनिक गुलामी' है।

बलात श्रम, घरेलू नौकर, मानव अंग व्यापार, बच्चों का अवैध दत्तक ग्रहण, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति, अमानवीय खेल (यथा बुल फाइटिंग, ऊँट दौड़ आदि) वे कार्य हैं,

जिनके लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी की जाती है और इन्हें दूसरे देशों तक भी भेजा जाता है। भारत जहाँ मानव तस्करी का एक बड़ा केन्द्र है, वहीं मानव तस्करी का रास्ता भी है। बांग्लादेश, नेपाल, यूक्रेन, रूस, बेलारूस आदि देशों से तस्करी किए गए बच्चों और महिलाओं को भारत के रास्ते अन्य देशों को भेजा जाता है।

मानव तस्करी को रोकने के लिए :

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बलात श्रम को दंडनीय घोषित किया गया है।
2. संविधान के अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को फैक्टरी, खदानों तथा अन्य खतरनाक उद्यमों में नियोजित करने को संविधान विरुद्ध घोषित किया गया है।
3. भारतीय दंड संहिता की लगभग 20 धाराएँ ऐसी हैं, जो मानव तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान करती हैं।
4. विधायिका द्वारा 'मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018' तैयार किया गया, जो 26 जुलाई, 2018 को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित भी हो गया।

2. प्रवासी मजदूर :

हमारे देश में मजदूरों को उनके कार्य के अनुरूप मजदूरी की दर नहीं दी जाती है और उसके फलस्वरूप मजदूर अपना पेट पालने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन करने के लिए मजबूर रहता है। प्रवासी मजदूर का दूसरे क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है। वह इस स्थिति में नहीं होता है कि वह अपनी शर्तों पर मजदूरी कर अपना पेट पाल सके। सामान्य तौर पर ईंट के भट्टों पर, निर्माण स्थलों पर, पुल एवं बाधों के निर्माण केन्द्रों पर तथा बजरी खनन के कार्य में प्रवासी मजदूर आमतौर पर पायें जाते है। इन मजदूरों के काम के घण्टें भी निर्धारित नहीं होते है। ये मजदूर अपने विधिक अधिकारों से बेखबर रहते हुए मालिक की इच्छा पर काम करने के लिए सदैव मजबूर रहते है। इन मजदूरों का वर्ग असंगठित होने के कारण इनकों हितप्रद विधायनों का लाभ नहीं मिल पाता है।

3. **असमान मजदूरी :** विधायिका के द्वारा मजदूरों को उनके काम के अनुरूप मजदूरी देने के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर रखी है किन्तु यह दुर्भाग्य का विषय है कि देश को आजाद होने के करीब 75 वर्ष होने के उपरान्त भी हमारा मजदूर अपने हक की मजदूरी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। सभी मजदूरों को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है। सामान्य व्यवहार में लैंगिक असमानता बरतते हुए महिलाओं एवं पुरूषों को समान मजदूरी नहीं दी जाती हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 35 में मूल अधिकार दिए गए है तथा समता के अधिकार के तहत सभी व्यक्ति समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार रखते है किन्तु इसके बावजूद भी यह असंगठित वर्ग समान मजदूरी प्राप्त करने में असक्षम है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयास :

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मानव दुर्व्यापार अथवा बेगार से पीड़ित व्यक्ति, महिला/बालक, अयोग्यताओं के साथ व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत अयोग्य व्यक्ति, औधोगिक कर्मकार तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत अभिरक्षित व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखता है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मजदूर एवं दलित वर्ग के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहा है और इसी भावना के तहत राज्य प्राधिकरण के द्वारा उनके हित में निम्न प्रयास किए जाते हैः

1. विधिक साक्षरता शिविर :

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये जाते है।

विधिक साक्षरता शिविर में कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बालश्रम (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986, किशोर न्याय (रखरखाव एवं

संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 बन्धुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (सेवा के विनियमन और रोजगार की स्थिति) अधिनियम, 1979, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और संशोधन अधिनियम 2016 तथा मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) अधिनियम, 2018 आदि के विधिक प्रावधानों के बारें में आमजन को जागरूक किया जाता है।

श्रम विभाग के सहयोग से सभी मजदूरों को राज्य की विभिन्न योजनाओं में पंजीकृत करवाये जाने का सार्थक प्रयास किया जाता है, यथाः प्रवासी श्रमिक मजदूर पंजीकरण, रोजगार विनियम पंजीकरण, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा चिरंजीवी योजना आदि।

लोगों को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ मौके पर ही विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से प्रदान किये जाते है, यथाः– ई–श्रम कार्ड तथा भामाशाह कार्ड आदि। मजदूरों के अधिकारों पर ब्रोशर, पोस्टर व अन्य प्रचार–प्रसार सामग्री तैयार कर उसका मौके पर ही वितरण किया जाता है।

2. बैठक / कार्यशाला :

राज्य प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के द्वारा मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता बनाने के लिए समय–समय पर राजकीय अधिकारी, श्रम विभाग के अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी तथा एन.जी.ओ. के साथ बैठक एवं कार्यशाला आयोजित की जाती है।

3. मजदूर का साथ, राज्य का विकास :

राज्य प्राधिकरण के द्वारा अधीनस्थ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि–

1. प्रत्येक मजदूर जो, मनरेगा या किसी अन्य विधि के तहत कार्य प्राप्त करने का हकदार है, उसको समय पर कार्य मिले और साथ ही समान मजदूरी मिले।
2. कोई भी मजदूर बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर ना हो।
3. पैरालीगल वॉलिंटियर/पैनल अधिवक्ता के द्वारा श्रम विभाग के अधिकारियों की सहायता से ईंट के भट्टों, खनन स्थल तथा निर्माण स्थलों का निरीक्षण करे।
4. यदि किसी स्थान पर नियोजक के द्वारा श्रम विधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही की जावे।
5. यदि किसी बालश्रमिक को मुक्त कराया जाता है तो उस बच्चे के पुर्नवास के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि बालक को शिक्षित कर उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

4. विधिक सहायता :

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–12 के तहत मानव दुर्व्यापार अथवा बेगार से पीड़ित व्यक्ति, महिला/बालक, अयोग्ताओं के साथ व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत अयोग्य व्यक्ति, औधोगिक कर्मकार तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत अभिरक्षित व्यक्ति, निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार है। राजस्थान राज्य में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के द्वारा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रो–बोनो वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा पैरवी करवायी जाती है।

5. लीगल क्लिनिक :

नालसा (विधिक सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011 के तहत प्रत्येक पंचायत समिति, केन्द्रीय कारागार, जिला कारागार, उपकारागार, न्यायालय परिसर तथा विश्वविद्यालय एवं विधि महाविद्यालयों में विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना की गयी है।

इन विधिक सेवा क्लिनिकों में आमजन के साथ–साथ संगठित एवं असंगठित वर्ग के

मजदूरों को उनके विधिक अधिकारों के संबंध में विधिक सलाह दी जाती है। उनको सामाजिक एवं मानसिक रूप से संबल देकर सशक्त किया जाता है। इसमें बार काउंसिल, बार एसोसिएशन तथा वरिष्ठ अधिवक्तागण का सहयोग प्राप्त किया जाता है।

6. ब्रेक द सांइलेंस एण्ड रेज द वॉयस :

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा माह मई, 2022 के एक्शन प्लान के तहत ब्रेक द सांइलेंस एण्ड रेज द वॉयस के अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से बाल श्रमिक, बंधुआ मजदूर तथा मानव तस्करी से पीड़ित वर्ग के व्यक्तियों को चुप्पी तोड़कर अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

7. एच.आई.वी. जागरूकता अभियान :

सामान्य समाज में जिस व्यक्ति को एच.आई.वी. की बीमारी हो जाती है तो उस व्यक्ति से समाज का अन्य वर्ग भेदभाव रखता है। हालांकि एच.आई.वी. लाईलाज बीमारी है किन्तु मिलने–जुलने से यह बीमारी संक्रमित नहीं होती है। एच.आई.वी. से संक्रमित व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाये जाते है।

8. विशेष दिवस आयोजन :

किसी विशेष दिवस को यादगार बनाये रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर विशेष दिवस का निर्धारण किया गया है। मजदूर एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता बनाये रखने के लिए विशेष दिवस निर्धारित है, यथाः– 20 फरवरी–अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस, 01 मई–अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 12 जून–बाल श्रम के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस, 25 सितम्बर–सामाजिक न्याय दिवस, 1 दिसम्बर–विश्व एड्स दिवस तथा 10 दिसम्बर–मानवाधिकार दिवस। राज्य प्राधिकरण के निर्देशन में इन सभी विशेष दिवसों पर विशेष अभियान आयोजित कर समाज में संवेदनशीलता बढ़ायी जाती है।

9. विभिन्न एनजीओ से सहभागिता :

समाज के कामगार वर्गों के कल्याण के लिए राज्य में विभिन्न एनजीओ अपनी सेवाएँ दे रहे है। इन एनजीओ की सेवा–भावना तथा कर्तव्यनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए कार्य किया जाना प्रस्तावित है–

जय भीम विकास शिक्षण संस्थान :

यह एक गैर राजनैतिक, गैर सरकारी एवं गैर धार्मिक स्वैच्छिक संगठन है, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 की धारा 20 के तहत पंजीकृत है। यह संस्थान वर्ष 1993 से राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों के कमजोर एवं वंचित वर्ग के विशेषकर मजदूर दलित महिला एवं बच्चों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। जिसका विजन ''समता व न्याय आधारित समाज का निर्माण करना है।'' अन्तर्राष्ट्रीय न्याय मिशन के सहयोग से जय भीम विकास शिक्षण संस्थान मजदूर और मानव तस्करी के विषय पर वर्ष 2015 से राजस्थान में मुक्ति धारा योजना के नाम से कार्य कर रहा है। इस योजना में बंधुआ मजदूरों के पीड़ितो को बचाने व पुनर्वास का कार्य किया जाता है। इस योजना के तहत करीब 739 पीड़ितों को बंधुआ मजदूरी के शिकार से बचाया गया है। इस संस्थान के द्वारा हेल्पलाईन 1800 1800 099 आपातकालीन निःशुल्क फोन सेवा संचालित की जाती है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बंधुआ मजदूरों का शोषण, अत्याचार व अधिकारों के हनन से रोकने के लिए उन्हें कानूनी सहायता व परामर्श दिलवाये जाने के लिए सहभागिता पर कार्य करने के लिए अग्रसर है।

सिलिकोसिस :

एक मजबूर की बीमारी और राज्य प्राधिकरण का सहयोग सिलिकोसिस आमतौर पर उत्खनन, निर्माण और भवन निर्माण उद्योगों में काम करने वाले लोगों में होता है। सिलिका (SiO_2/सिलिकॉन डाइऑक्साइड) एक क्रिस्टल धातु जैसा खनिज है, जो रेत, चट्टान और क्वार्ट्ज में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह एक फेफड़ों की बीमारी है, जो लंबे समय तक सिलिका के छोटे–छोटे कणों के साँस के माध्यम से शरीर के भीतर प्रवेश करने से होती है, जिसके सामान्य लक्षणों में साँस लेने में परेशानी होना, खाँसी, बुखार और त्वचा का रंग नीला पड़ना शामिल है।

यह दुनिया में सबसे अधिक प्रचलित व्यावसायिक स्वास्थ्य बीमारियों में से एक है। औद्योगिक और गैर–औद्योगिक स्रोतों से उत्पन्न सिलिका धूल के जोखिम का प्रभाव

गैर–व्यावसायिक क्षेत्रों की आबादी पर भी देखा जाता है। बड़ी मात्रा में मुक्त सिलिका के संपर्क पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सिलिका गंधहीन, गैर–उत्तेजक है और इसका तत्काल स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन लंबे समय तक इसके संपर्क में आने पर एक्सपोजर न्यूमोकोनियोसिस, फेफड़ों का कैंसर, फुफ्फुसीय तपेदिक और अन्य फेफड़ों से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं।

ग्रंथियाँ, जो एक समूह निर्मित करने के लिये एकत्र होती हैं, उन्हें छाती के एक्स–रे द्वारा पहचानने में 20 वर्ष तक का समय लग सकता है और पीड़ित को कई वर्षों तक सिलिका के संपर्क में रहने के बाद ही लक्षण दिखाई देते हैं। सामान्यतः सिलिकोसिस नोड्यूल दृढ़, असंतत, गोल घाव होते हैं, जिनमें काले वर्णक की एक चर मात्रा होती है।

कानूनी सुरक्षा :

1. सिलिकोसिस को खान अधिनियम, 1952 और फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत अधिसूचित बीमारी के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत हवादार कामकाजी वातावरण, धूल से सुरक्षा, भीड़भाड़ में कमी और बुनियादी व्यावसायिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान को अनिवार्य किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा एक सिलिकोसिस पोर्टल की शुरुआत की गई है। जिला स्तरीय न्यूमोकोनियोसिस बोर्डों के माध्यम से स्व–पंजीकरण निदान की एक प्रणाली है, जिसके आधार पर जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) निधि से मुआवजा दिया जाता है, इसमें खदान मालिक योगदान करते हैं।
2. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति संहिता 2020 : यह संहिता सभी नियोक्ताओं के लिये सरकार द्वारा निर्धारित उपयुक्त वार्षिक स्वास्थ्य जाँच मुफ्त प्रदान करना अनिवार्य बनाती है। संहिता खदान मालिक पर खदान में वैकल्पिक रोजगार और किसी भी प्रकार के पुनर्वास या चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए गए कर्मचारी के लिये विकलांगता भत्ता व एकमुश्त मुआवजे के भुगतान का दायित्व डालती है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) के फंड का कम उपयोग किया जाता है और पूरी तरह से तदर्थ तरीके से व्यय किया जाता है।

3. सिलिकोसिस नीति :

राजस्थान राज्य में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ितों के बचाव, उपचार एवं सिलिकोसिस बीमारी से हुई मृत्यु पर दिये जाने वाले अनुदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.10.2019 को सिलिकोसिस नीति जारी की गई है। इस नीति के तहत सिलिकोसिस बीमारी को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के भाग 3 की तृतीय सूची के टेबल 1 में शामिल किया गया है। इस बीमारी को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की धारा 3 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 52 के तहत प्रतिकर योग्य बनाया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि राजस्थान राज्य में मजदूरों को सिलिकोसिस बीमारी से बचाया जाये तथा पीड़ित व्यक्ति को यथायोग्य उपचार एवं पुनर्वास किया जावे। सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति ऑनलाईन पोर्टल पर अपने आपको पंजीकृत करवा सकता है और उसके उंपरात उसको उपचार एवं पुनर्वास की सहायता दी जाती है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयास :

न्यूमोकोनियोसिस (Pneumoconiosis) फेफड़ों से संबंधित रोगों के समूह में से एक है, जो कुछ प्रकार के धूल कणों में साँस लेने के कारण होता है और ये फेफड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके निदान के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसका पता लगाना कठिन हो जाता है कि रोगी तपेदिक (Tuberculosis) या सिलिकोसिस से ग्रसित है या नहीं।

मजदूर वर्ग मजबूरी के कारण धूल भरे वातावरण में कार्य करने को मजबूर है। असंगठित वर्ग इस स्थिति में नहीं है कि वह स्वच्छ वातावरण की शर्तों के साथ कार्य कर सके। जब कभी किसी मजदूर को यह गंभीर बीमारी हो जाती है तो वह अपने आपको असुरक्षित महसूस करता है।

राज्य प्राधिकरण सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित मजदूरों को उपचार एवं पुनर्वास प्रदान करने में विधिक सहायता देने के लिए प्रयासरत है। श्रम विभाग एवं एन.जी.ओ. के सहयोग से राज्य प्राधिकरण इस दिशा की ओर कदम बढ़ाने के लिए अग्रसर है कि–

1. फैक्ट्री एवं खनन मालिकों के द्वारा कार्य स्थल पर धूल एवं प्रदुषण मुक्त वातावरण रखा जावे।
2. प्रत्येक मजदूर अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहे, इसके लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जावे।
3. यदि कोई मजदूर सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो उसका अविलम्ब पंजीकरण करवाकर उसको निःशुल्क चिकित्सकीय उपचार प्रदान करने में सहायता की जावे।
4. पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिलाने में सहायता दी जाकर उसका पुनर्वास करवाया जावे।
5. पीड़ित व्यक्ति एवं उसके परिवार को आस्था कॉर्ड के तहत सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवायें जाने में सहायता की जावे।
6. राज्य सरकार के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति के कुशल विकास के लिए विशेष अभियान चलवाकर उसे प्रशिक्षित किया जावे।
7. प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यशाला आयोजित कर पीड़ित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ायी जावे।
8. यदि पीड़ित व्यक्ति अपने उपचार, प्रतिकर प्राप्ति एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही करना चाहता है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता दी जावे।

✦✦✦

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, Fax: 2227602
Toll Free Help Line 15100/9928900900
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in
website: www.rlsa.gov.in